इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 530] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर 2011—अग्रहायण, 8, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्र. 25249-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यताकरण) विधेयक, 2011 (क्रमांक 46 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 29 नवम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४६ सन् २०११

मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यताकरण) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ की अनुसूची १ में अन्तर्विष्ट कतिपय माल के संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से विधिमान्य करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यताकरण) अधिनियम, २०११ है.

अनुसूची १ के भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन का तथा उसके अधीन की गई कार्रवाइयों तथा बातों का विधिमान्यताकरण.

२. (१) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की अनुसूची १ में, अनुक्रमांक ४८ तथा ४९ में अन्तर्विष्ट माल के विवरण अर्थात् क्रमशः फैब्रिक्स तथा शक्कर का संशोधन करने वाली मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-ए-३-४६-२०११-१-पांच (७२), दिनांक २७ सितम्बर, २०११ जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में उसी तारीख को प्रकाशित हुई थी (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है), ८ अप्रैल, २०११ से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

(२) अधिसूचना में अंतर्विष्ट संशोधनों के अनुसरण में की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई के बारे में यह और सदैव यही समझा जाएगा कि वह ८ अप्रैल, २०११ से विधिमान्यतः की गई बात या की गई कार्रवाई है.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ७०-क द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची १ तथा २ को संशोधित करने हेतु राज्य सरकार को शक्ति दी गई है. उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-३-४६-२०११-एक-पांच (७२), दिनांक २७ सितम्बर, २०११ को जारी करके उक्त अधिनियम की अनुसूची-१ में फैब्रिक्स तथा शक्कर से संबंधित प्रविष्टि क्रमांक ४८ एवं ४९ में समुचित संशोधन किए गए हैं जिससे कि फैब्रिक्स तथा शक्कर को मूल्य संवर्धित कर से छूट प्रदान की गई है. किन्तु उक्त अधिसूचना द्वारा किए गए उक्त संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव, अर्थात् ८ अप्रैल, २०११ से प्रभावी किया जाना है. अतएव, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव, अर्थात् ८ अप्रैल, २०११ से प्रभावी करने के लिए राज्य विधान-मण्डल का विधिमान्यताकरण अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख २४ नवम्बर, २०११.

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011